न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट एवं अपीलीय भरण–पोषण न्यायाधिकरण अजमेर
अपील संख्या 69 / 2022

1. श्री अनिल कुमार पुत्र श्री बृजमोहन उम्र करीबन 38 वर्ष जाति कुम्हार मकान नम्बर 300 / 24, चॉद बावडी केसरगंज अजमेर
2. श्रीमति सोनिया पत्नि श्री अनिल कुमार जाति कुम्हार मकान नम्बर 300 / 24, चॉद बावडी, केसरगंज अजमेर
   हाल महाराणा प्रताप नगर, ई–54, युनिक आवास कोटडा, अजमेर

.....अपीलान्ट

बनाम

1. श्री बृज मोहन पुत्र ज्वाला प्रसाद जी निवासी मकान नम्बर 300 / 24, चॉद बावडी, केसरगंज अजमेर

.....रेस्पोडेन्ट

2. श्री सुनिल कुमार पुत्र श्री बृजमोहन जी निवासी मकान नम्बर 300 / 24, चॉद बावडी केसरगंज अजमेर
3. श्रीमति सुनिता पत्नि श्री सुनिल कुमार निवासी मकान नम्बर 300 / 24, चॉद बावडी, केसरगंज अजमेर

.....परफार्मा रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 16 अभिभावको और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 अपील विरूद्ध आक्षेपित आदेश दिनांक 30.09.2019 अधीनस्थ पीठासीन अधिकारी एवं भरण पोषण न्यायाधिकरण अजमेर

आदेश दिनांक :– 26.07.2023

अपीलान्ट द्वारा यह अपील अधीनस्थ अधिकरण उपखण्ड अधिकारी अजमेर के आदेश दिनांक 30.09.2019, जिसमें "प्रार्थीगण (अपीलान्ट) अप्रार्थी (रेस्पोडेन्ट) के खाते में प्रतिमाह 3000 / – रूपये निर्वाह भत्ता दिलाया जाना से असन्तुष्ट होकर इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेन्ट्स को नोटिस जारी किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय से सम्बन्धित रेकार्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट्स स्वयं उपस्थित आये। उपस्थित उभय पक्ष को सुना गया।

अपीलार्थी ने अपील प्रस्तुत कर प्रत्यर्थी द्वारा उपखण्ड अधिकारी अजमेर भरण पोषण अधिकरण के समक्ष याचिका दायर करते हुए अपीलार्थीगण एवं परफोरमा प्रत्यर्थीगण संख्या 2 व 3 जो कि उक्त याचिका में अप्रार्थीगण रहे उक्त अप्रार्थीगण प्रत्यर्थी के पुत्र व पुत्रवधु है तथा प्रत्यर्थी के सम्पत्ति में निवास कर रहे है, प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा अपीलार्थीगण पर आरोप लगाया

डॉ. भारती दीक्षित
जिला कलक्टर, अजमेर

कि अपीलार्थीगण जो प्रत्यर्थी संख्या 1 के पुत्र व पुत्रवधु है द्वारा प्रत्यर्थी की इच्छा के विरूद्ध प्रत्यर्थी को डरा धमका कर जबरन धमकाकर दादागिरी से प्रत्यर्थी को मरने मारने की धमकियॉ देकर उक्त सम्पत्ति पर काबिज होकर निवास कर रहे है, व अन्य अभिकथनो को परफोरमा प्रत्यर्थीगण के बाबत अंकित करते हुये भरण पोषण राशि दिलाये जाने की मांग करते हुये अंत में याचिका प्रत्यर्थी के हक में निर्णित करने का आदेश प्रसारित किया जाने का निवेदन किया गया। अपीलार्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर अपीलार्थीगण, प्रत्यर्थी की सम्पत्ति में निवास नहीं कर रहे है, वही अपीलार्थीगण प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा अपनी अविधिक मॉगो के चलते अपीलार्थीगण के विरूद्ध असत्य तथ्यों के आधारो पर ना केवल मुकदमें दर्ज करवाये वरन प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा अपनी सम्पत्ति से निकाल दिये जाने के कारण अपीलार्थीगण महाराणा प्रताप नगर, ई 54 युनिक आवास कोटडा अजमेर में निवास कर रहे है उसके बावजुद यदि प्रत्यर्थी संख्या 1 जो कि अपीलार्थीगण का पिता/ससुर है यदि अपीलार्थीगण के पास व साथ रहना चाहे तो वह रखने हेतु तैयार है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेट को अपीलार्थीगण के पास व साथ रहने हेतु सुझाव व निर्देशित किया गया, जिस पर प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा सहमति जताये जाते हुये प्रकरण को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा की गई समझाईश में वापस उठाये जाने का खुलासा किया। जिससे अपीलार्थीगण उसी सद्विश्वास में रहे, परन्तु प्रत्यर्थी द्वारा उक्त प्रकरण को जहॉ नहीं उठाया गया, वही उसमें अपीलार्थीगण को बिना जानकारी में जाये अपीलार्थी संख्या 1 के विरूद्ध माननीय अधिनस्थ न्यायालय को गुमराह करते हुए पारित करवाया गया प्रतीत है जिसकी जानकारी हाल ही में पुलिस द्वारा अपीलार्थी संख्या 1 को उसके मोबाईल पर सूचित किया जाकर बुलवाया जाते हुये उक्त पत्र की प्रति दी जाने पर हुई। अपीलार्थीगण 5000/– रूपये प्रतिमाह किराये पर मकान लेकर महाराणा प्रताप नगर, ई 54 युनिक आवास कोटडा, अजमेर में निवास कर रहे है। प्रत्यर्थी संख्या 1 जिस सम्पत्ति को अपनी बताई जाकर अपीलार्थीगण द्वारा उसमें दादागिरी से निवास करने का कथन किया जा रहा है जो गलत है। अपीलार्थीण प्रत्यर्थी संख्या 1 अपने पिता/ससुर को साथ रखने हेतु तैयार है। अपीलार्थी संख्या 1 ड्राइवर है जो कि किश्तो पर उधार में गाडी ली जाकर चला रहा है की किश्तो का भार अपीलार्थीगण पर है। अपीलार्थीगण को उनके पिता/ससुर प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा अपना ताला लगाया जाकर अपीलार्थीगण का सामान तक निकालने नहीं दिया जाने के चलते अपीलार्थीगण को अपनी रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुओ चीजो तक के लिए मोहताज होकर नवीन का इंतजाम करने हेतु अतिरिक्त भार सहन करना पड़ रहा है। प्रत्यर्थी संख्या 1 किसी प्रकार से एक नया पैसा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है, पर गौर नहीं कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक भूल की है। अपीलार्थीगण के कब्जेधीन परिसर पर स्वयं का प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा ताला लगाया जाकर अपीलार्थीगण को घर से निकाल दिया, वही प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा दौराने विचारण प्रकरण प्रत्यर्थी संख्या 1 की मौजुदा अन्य सम्पत्तियों/प्लॉटो तक को बैचान करते हुए लाखो रूपये प्रतिफल स्वरूप प्राप्त किये जाकर अपने अन्य पुत्र पुत्रियों को दिया वहीं आज काफी पैसा स्वयं प्रत्यर्थी ने लोगो का ब्याज पर दिया जाकर ब्याज अर्जित कर रहा है, प्रत्यर्थी स्वयं का जहॉ मकान है वही आय का पर्याप्त साधन होकर आवश्यकता से अधिक आये प्रत्यर्थी संख्या 1 के पास होकर अन्य पुत्र पुत्रियों को व अन्य को दान धर्म कर रहा है। धारा 05 मयाद अधिनियम के तहत पृथक से देरी क्षमा किए जाने का आवेदन संलग्न है। अतः अपील अपीलार्थीगण स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय पीठासीन अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी अजमेर) भरण पोषण अधिकरण अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या

डॉ. भारती दीक्षित
जिला कलक्टर, अजमेर

5/2019 श्री बृजमोहन बनाम श्री सुनील कुमार व अन्य में दिनांक 30.09.2019 को पारित किया जाते हुए उक्त अधिनियम की धारा 05 (1) व 23 के अन्तर्गत पारित किया गया को अपास्त किया जावे।

रेस्पोडेन्ट संख्या एक ने जवाब प्रस्तुत नहीं कर अपील कथनो को सिरे से नकारते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 30.09.2019 पारित किया गया जो विधि सम्मत है। अपीलार्थी नियमित रूप से भरण पोषण राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 ने जवाब प्रस्तुत नहीं कर अपील कथनो को सिरे से नकारते हुए कथन किया कि माता पिता मेरे साथ ही निवास कर रहे है। अपीलार्थी के द्वारा भरण पोषण की राशि नियमित रूप से अदा नहीं की जा रही है।

सर्वप्रथम धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर सुना गया। प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र का कोई जवाब रेस्पोडेन्ट्स की ओर से प्रस्तुत नहीं हुआ न ही इस सबंध में खण्डन शपथ पत्र प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र में वर्णित कारणों व स्पष्टीकरण पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है। न्यायहित में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है व अपील को अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

हमने उपस्थित उभय पक्ष को सुना, अपील तथ्यों एवं रेकार्ड पत्रावली का अवलोकन मनन किया। उभय पक्ष द्वारा हमारे समक्ष व्यक्त कथनों एवं प्रकट तथ्यों पर समस्त दृष्टिकोण से विवेचन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से यह प्रमाणित है कि अपीलांट माता पिता से पृथक रहने के साथ ही आय का कोई स्त्रोत विद्यमान नहीं करता है तथा रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलांट की पत्नि अपीलांट संख्या 2 श्रीमति सोनिया के विरूद्ध दुरव्यवहार किया जाना भी सिद्ध है। साथ ही रेस्पोडेन्ट 1 के साथ उनका रेस्पोडेन्ट संख्या 2 बड़ा पुत्र श्री सुनिल कुमार रहता है जो कि पूर्ण रूप से माता पिता के भरण पोषण में खर्चा वहन किए जाने में सक्षम है ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलांटगण की हद तक अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.09.2019 निरस्त किया जाता है। अपीलान्टगण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के जीवन–यापन व रहने पर किसी प्रकार से दखल अंदाज नहीं करेंगे।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 26.07.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भारती दीक्षित)
जिला मजिस्ट्रेट एवं पीठासीन अधिकारी
अपीलीय भरण पोषण न्यायाधिकरण
अजमेर